

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2018—माघ 14, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्र. एफ ए 3-26-2013-एक (1) 126.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को मंत्री एवं राज्य मंत्री नियुक्त किया है:—

मंत्री

1. श्री नारायण सिंह कुशवाह

राज्य मंत्री

1. श्री बाल कृष्ण पाटीदार
2. श्री जालम सिंह पटेल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त उक्त मंत्री एवं राज्य मंत्रियों ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार आज प्रातः पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्र. एफ ए 3-26-2013-एक (1) 127.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2013-एक (1) 126, दिनांक 3 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 3rd February, 2018

No. F-A 3-26-2013-I (i) 126.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, under Article 164 of the Constitution of India has been pleased to appoint the following as Minister and Ministers of State :—

MINISTER

1. Shri Narayan Singh Kushwah

MINISTERS OF STATE

1. Shri Bal Krishna Patidar
2. Shri Jalam Singh Patel

The above mentioned Minister and Ministers of State appointed by the Governor took oaths of Office and of Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution and entered upon their offices today in the morning.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BASANT PRATAP SINGH, Chief Secy.